ग्राम पंचायत जुकैण, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग—एक

1 प्रस्तावनाः—

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत जुकैण, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत्त थेः—

प्रधानः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती मीरा देवी	1.4.14 से 22.1.2016
2	श्रीमती सन्तोष कुमारी	23.1.16 से अद्यतन

सचिवः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री राकेश कुमार	1.4.14 से 24.7.15
2	श्री पवन कुमार	24.7.15 से 22.1.16
3	श्री राकेश कुमार	23.1.16 से 11.4.16
4	श्री पवन कुमार	12.4.16 से 17.6.16
5	श्री राकेश कुमार	18.6.16 से 26.11.16
6	श्री विनोद कुमार	27.11.16 से अद्यतन

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत जुकैण के लेखाओं अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के शेष में अन्तर	0.01
2	4.2	रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना	–
3	5	पंचायत राजस्व की वसूली शेष	0.12
4	6	अनुदान का उपयोग न करना	17.03
5	7	खेल सामग्री के क्रय पर अधिक भुगतान	0.01
6	8	औपचारिकताओं के पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	0.51
7	9	क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	0.75
8	10	व्यय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना	0.24

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत जुकैण, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सन्तोष कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 05.09.17 से 11.9.17 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः निम्न मासों का चयन किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014–15	03/2015	02/2015
2015–16	03/2016	11/2015
2016–17	03/2017	01/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में, अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होंने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत जुकैण, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला—9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 दिनांक 11.9.17 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः—

ग्राम पंचायत जुकैण द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः—

(1) स्व स्त्रोतः— ग्राम पंचायत जुकैण द्वारा प्रस्तुत अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2014—15	128857	37321	166178	18674	147504
2015—16	147504	62197	209701	13065	196636
2016—17	196636	51442	248078	25635	222443

(2) अनुदानः— ग्राम पंचायत जुकैण के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में भी दिया गया हैः—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2014—15	987268.92	2782823	3770091.92	2622256	1147835.92
2015—16	1147835.92	2921678	4069513.92	3223199	846314.92
2016—17	846314.92	2413563.71	3259878.63	1556747	1703131.63

स्वः स्त्रोतः–

दिनांक 31.3.17 को रोकड बही का अन्तशेष	222443.00
अनुदानः–	
दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बहियों का अन्तशेष	1703131.63
योग	**₹1925574.63**
दिनांक 31.3.2017 को बैंक खातों का अन्तशेष (संलग्न विवरण परिशिष्ट–II)	1925976.71
हस्तगत राशि	927
योग	**₹1926903.71**
अन्तर	**₹1329.08**

4.1 बैंक खातों तथा रोकड़ बही के दिनांक 31.3.17 के अन्तशेष में ₹1329.08 का अन्तरः–

जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत आय तथा अन्य प्राप्त हुए विभिन्न अनुदानों को खाता संख्या 32310109764–HPSCB तथा खाता संख्या 33910102312–HPSCB में जमा करवाया गया था परन्तु नियमों के अनुसार समय पर रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करने के कारण दिनांक 31.3.2017 को ₹1329.08 का अन्तर पाया गया (विस्तृत ब्यौरा पैरा 4 में दिया गया है) जिसका मिलान करने के लिए सचिव ग्राम पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 001, दिनांक 11.9.2017 द्वारा निर्देश दिये गए परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक खातों के बैंक शेष का मिलान नहीं किया गया जिसका अतिशीघ्र मिलान किया जाए।

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करनाः–

ग्राम पंचायत जुकैण की रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्तें) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता बारे उचित

स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए तुरन्त प्रभाव से पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करना सुनिश्चित किया जाये।

5 पंचायत राजस्व ₹0.12 लाख वसूली हेतु शेषः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि संलग्न **परिशिष्ट–III** के अनुसार दिनांक 31.3.17 तक पंचायत के राजस्व/गृहकर ₹11750 की वसूली शेष थी। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाये।

6 अनुदान ₹17.03 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–I)** के अनुसार दिनांक 31.3.17 तक अनुदान ₹1703131 उपयोग हेतु शेष थी। पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–2 सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

7 खेल सामग्री के क्रय पर ₹1286 की अधिक अदायगीः–

जिला परिषद शीर्ष से प्राप्त हुए अनुदान से वाउचर संख्या 57 माह 02/2015 के अन्तर्गत मै0 गुलेरिया एन्टरप्राईजिज सरकाघाट से उनके बिल संख्या 52 दिनांक 23.2.2015 द्वारा खेल सामग्री न्यूनतम बाजार दरों पर खरीदी गई परन्तु गणना सम्बन्धी त्रुटि बिल में होने के कारण आपूर्तिकार को ₹37039 के स्थान पर ₹38325 का भुगतान होने के परिणामस्वरूप ₹1286 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली सम्बन्धित आपूर्तिकार या सम्बन्धित कर्मचारी से करके पंचायत निधि में जमा करवाई जाये तथा अनुपालना सें अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.51 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताऐं (निविदाएँ आमन्त्रित करना इत्यादि) प्रावधित हैं। चयनित मासों के व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में पंचायत द्वारा ₹51076 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

क्र0सं0	वा0सं0/माह	विवरण	बिल सं0	राशि	अंकेक्षण आपत्ति
1	31 माह 11/15 (मिड हिमालय अनुदान)	निर्माण सामग्री का क्रय	—	32955	निविदायें नहीं ली गई
2	32 माह 11/15 (मिड हिमालय अनुदान)	—यथोपरि—	834 दिनांक 23.11.15	16171	—यथोपरि—
3	33 माह 11/15 (मिड हिमालय अनुदान)	—यथोपरि—	846 दिनांक	1950	—यथोपरि—
			कुल योग	**51076**	

9 ₹0.75 लाख के स्टॉक/स्टोर के क्रय की भण्डार प्रविष्टियाँ न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 तथा 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि करने, जारी करने तथा भण्डारण से सम्बन्धित औपचारिकताएँ प्रावधित है। चयनित मासों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹75306 की सामग्री क्रय की प्रविष्टि भण्डार रजिस्टर में नहीं की गई, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर की प्रविष्टि नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में

न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए समस्त क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टियाँ नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

क्र0सं0	**वा0सं0 / माह**	**विवरण**	**बिल सं0**	**राशि**	**अंकेक्षण आपत्ति**
1	58 माह 02 / 15 (सामान्य)	निर्माण सामग्री का क्रय	346 दिनांक 20.1.15	12000	स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई
2	59 माह 02 / 15 (सामान्य)	–यथोपरि–	347 दिनांक 10.2.15	12000	–यथोपरि–
3	60 माह 11 / 15 (सामान्य)	स्टेशनरी	1337 दिनांक –	230	–यथोपरि–
4	31 माह 11 / 15 (मिड हिमालय अनुदान)	निर्माण सामग्री	–	32955	–यथोपरि–
5	32 माह 11 / 15 (मिड हिमालय अनुदान)	–यथोपरि–	834 दिनांक 23.11.15	16171	–यथोपरि–
6	33 माह 11 / 15 (मिड हिमालय अनुदान)	–यथोपरि–	846 दिनांक	1950	–यथोपरि–
			कुल योग	**75306**	

10 ₹0.24 लाख के व्यय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करनाः–

जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित भुगतान विभिन्न तिथियों को पंचायत निधि से किये गये थे परन्तु इन भुगतानों से सम्बन्धित अभिलेख आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे इन भुगतानों की यर्थाथता / सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न करवाना पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1, 2) की भी स्पष्ट अवहेलना है। अतः अभिलेख प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा ₹24000 के अनियमित व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत निधि में जमा करवाने के बाद अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें। भुगतानों का विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	निधि का नाम	बिल सं0	वा0सं0/माह	राशि	कार्य का नाम
1	सामान्य (जिला परिषद तथा विकास खण्ड अनुदान)	346	58 माह 2/15	12000	जुकैण से वट वृक्ष बनौग तक रास्ते का निर्माण
2	–यथोपरि–	347	59 माह 2/15	12000	–यथोपरि–
			कुल योग	**24000**	

11 माप पुस्तिकाओं का सत्यापन न करवानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104 (2) (ii) तथा 105 के अनुसार पंचायत द्वारा करवाये गये विकासात्मक कार्यों की माप पुस्तिकाओं में की गई प्रविष्टियों का, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा सत्यापन करवाना अनिवार्य है, परन्तु ग्राम पंचायत के तकनीकी सहायक द्वारा माप पुस्तिकाओं में की गई प्रविष्टियों का सत्यापन कनिष्ठ अभियन्ता से नहीं करवाया जा रहा है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा करवाये गए सभी विकासात्मक कार्यों की माप पुस्तिकाओं की प्रविष्टियों का सत्यापन करवाना सुनिश्चित किया जाये।

12 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, भत्ते, कराधान) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत, विभिन्न रजिस्टर का अनुरक्षण, ग्राम पंचायत द्वारा, अनिवार्य है, परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा रजिस्टरों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित एवं आपत्तिजनक है। अतः भविष्य में नियमानुसार निम्न रजिस्टरों का रख रखाव करना सुनिश्चित किया जाये।

(i) अनुदान रजिस्टर

(ii) अस्थाई अग्रिम रजिस्टर

(iii) गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर

(iv) प्रतिस्थापना बिल चैक रजिस्टर

(v) स्टैम्प रजिस्टर

(vi) स्टेशनरी रजिस्टर

(vii) वर्गीकृत सार रजिस्टर

13 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** अंकेक्षण में पाई गई लघु आपत्तियों का, अंकेक्षण के दौरान ही निपटान कर दिया गया। अतः उक्त विवरणिका को अलग से जारी नहीं किया गया।

15 **निष्कर्षः—** ग्राम पंचायत जुकैण के लेखाओं में व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (11) 33/2017—खण्ड—1—748—751 दिनाँक29.01.2018
शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत जुकैण, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046